

NO. 3061

Dated

29/11/88

Certified under Section 42 of The Indian Stamp Act 1889

that the stamp duty of the amount of Rs. 49999 -

Rs. Forty Nine Thousand and nine hundred, actually
has been levied on this document and paid by same only.

Mange Ram & Behari B. Bajaj

vide Treasury Challan No. 24 Dated 29/11/88
for Sale Deed worth Rs. 4,00,000 - In Favour of

Mr. Alisheeth Jolli



TREASURY OFFICER
-CUM-COLLECTOR
GURGAON

29/11/88

किसम वसीका : बयनामा अराजी

मालयती : 4,00,000/= रु

स्टाम्प: 49,999/=रु

मन कि मागें राम पुत्र बिहारी पुत्र जमना दास निवासी बजधेडा तहसील
व जिला गुडगावां का हूं ।

Seen in Arbitration

(Sole Arbitrator)



Certified under Section 42 of The Indian Stamp Act 1889
 that the stamp duty of the amount of Rs. _____
 has been levied on this document and paid by _____

5-3-88 दिनांक
 1-9-19 तारीख को दिव के श्री गोपाल
 विहारी निवासी बजौरा
 हमारे सम्मुख कार्यालय
 उपस्थित थे सोच समझ कर रजिस्ट्री फीस दिया ।

सब रजिस्ट्रार
 गुड़गाँव

मोहरी पासपोर्ट का श्री गोपाल
 श्री मु.सी. लाल मल्हान सुनाया व समझाया गया
 जिन्होंने सुनकर व समझकर यह सोच है कि कौनसा पत्रिका
 को स्वीकार किया है सोच समझ कर
 उपरोक्त को सुनकर श्री गोपाल
 बकल करंसी नोट गिनकर सम्माने शेष रकम की वसूली
 व मुजराई करके बहने लेना स्वीकार किया



मोहरी पासपोर्ट
 श्री

उपस्थित को श्री
 मु.सी. लाल मल्हान
 साक्षीगण पहचान करते हैं । साक्षी प्रथम से द्वितीय
 तब तक जहाँ साक्षी द्वितीय की पहचान करता है ।

सब रजिस्ट्रार
 गुड़गाँव

यु. सी. लाल मल्हान
 16-01-2007

20070116

7-
जो कि मैं अराजी जरई खेवट नम्बर 273 खाता नम्बर 330 मुसततील
नम्बर 1 कीला नम्बर 15 रकबा 8 कनाल 0 मरले का 1/4 भाग बकदर 2
कनाल 0 मरले वाका सिवाना मौजा चौमा तहसील व जिला गुडगावां का बरूये
जमाबन्दी साल 1990- 91 मालिक व काबिज हूं ।

जो कि हर प्रकार के बारे किफालत, रहन, बय, पटटा, तबादला ,
हिबा आदी, कुरकी, हुकमइमतनाई, मुकदमेबाजी व देनदारी से मुक्त है । इस
पर कोई सरकारी या गैर सरकारी कर्जा या रहन का भार नहीं है । इस की
बाबत आज तक खरीदार के सिवाए किसी के साथ इकरारनामा बय आदी का
नहीं किया है । इस की बाबत कोई मुकदमा भी विचाराधीन नहीं है । यह
सरपलस रकबा भी नहीं है । इस की बाबत आज तक कोई नोटिफिकेशन भूमी
अर्जन अधिनियम के आधिन नहीं हुआ है । यह अराजी मेरी अपनी खुद कासत व
मेरे अपने कब्जे में है । इस पर कोई मजारा नहीं है और इस पर कोई पटटा
भी नहीं है । इस अराजी से बाया को मामूली आमदनी थी । अब इस
अराजी की बहुत अच्छी कीमत मिल रही है । इस अराजी को बेच कर किसी
गांव मे अधिक चाही रकबा खरीद करूंगा और दीगर अराजी का सुधार करूंगा
। इस अराजी का विक्रय करना परिवार की भलाई का कार्य है ।

अतः आज बदरूस्ती होस व हवास उपरोक्त अराजी सर्व अधिकार
दाखली व खरजी सहित बदले मुबलिग 4,00,000/=रु कि आधे जिसके
2,00,000/=रु 00 पैसे होते है बदस्त निशीथ जोशी पुत्र रमेश जोशी निवासी 225
सी , उना अपार्टमेंटस, प्लाट नम्बर 3, पटपड गंज, नई दिल्ली -92 कतैई
बय व फरोस्त कर दी है ।



सब रजिस्ट्रार
गुडगाँगा

कीमत मे से 1,00,000/- पहले व 3,00,000/= रु बजरी पेआडर /
ड्राफ्ट नम्बर 465981... दिनांक 25-1-98... बैंक आफ राजस्थान
लि० करोल बाग, नई दिल्ली वसूल पाए जिसकी प्राप्ती बाया तसदीक व
तसलीम करता है । अब कुछ लेना बाकी नहीं रहा है । अराजी मुबैया का कब्जा
खरीदार को देकर अपने जैसा मालिक व काबिज बना दिया है ।

इस बयनामे का तमाम खर्चा जैसे स्टाम्प , फीस रजिस्टरी आदी
खरीदार ने ही लगाया है । खरीदार को इस बयनामे द्वारा मेरी गैर हाजरी में
इन्तकाल मन्जूर कराने का हक होगा । इस बयनामे के बाद बाया व उसके
वारसान का अराजी मुबैया से कोई वास्ता नहीं रहा है । अगर आज तक इस
अराजी पर कोई बारे रहन पाया जावेगा तो उस की अदायगी का बाया जिम्मेदार
होगा । अगर मिलकियत के किसी नुकस के कारण से अराजी मुबैया किसी
मुकदमे मे खरीदार से निकल जावेगी तो बाया व उसके वारसान व उनकी
जायदाद हर प्रकार कीमत, खर्चा व हरजा अदा करने के जिम्मेदार होंगे ।

कोई सरत वापसी बय की नहीं है । बाया व उसके वारसान इस
तहरीर के पाबन्द रहेंगे । अतः यह बयनामा सुन व समझ कर लिख दिया कि
सन्द रहे तिथी 25 / 1 / 1998 गुरुगवां 3754

मार्गे राम बाया

गवाह:- एडवोकेट गुडगावां



 **BALBIR SINGH**
Advocate, Gurgaon

गवाह: भूप सिंह पुत्र रिसाल सिंह
निवासी बजधेडा तहसील व जिला
गुडगावां

खरीदार की तरफ से यू० सी० सकसैना






